(64)

न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

प्रकरण संख्या : 04/2020
GCMS Case Reg. 2020/00008

–प्रार्थी

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी, तहसीलदार, बांसवाड़ा (राज.)।

बनाम

1. श्री प्रकाश पिता सुखराम जाति ब्राम्हण निवासी कूपड़ा
2. श्री प्रमोद पिता सुखराम जाति ब्राम्हण निवासी कूपड़ा
3. श्री जितेन्द्र पिता सुखराम जाति ब्राम्हण निवासी कूपड़ा
4. श्रीमती शान्तिदेवी बेवा सुखराम जाति ब्राम्हण निवासी कूपड़ा
5. श्री मणीलाल पिता जुगतराम जाति ब्राम्हण निवासी कूपड़ा
6. श्री रेवाशंकर पिता जुगतराम जाति ब्राम्हण निवासी कूपड़ा
7. श्री कान्तिलाल पिता जुगतराम जाति ब्राम्हण निवासी कूपड़ा
8. श्री अशोक कुमार पिता जुगतराम जाति ब्राम्हण निवासी कूपड़ा
9. श्रीमती सीता पुत्री जुगतराम जाति ब्राम्हण निवासी कूपड़ा
10. श्रीमती आशा पुत्री जुगतराम जाति ब्राम्हण निवासी कूपड़ा
11. श्रीमती ऊषा पुत्री जुगतराम जाति ब्राम्हण निवासी कूपड़ा
    तहसील व जिला बांसवाड़ा

–प्रत्यर्थी

भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेंस

उपस्थित –

1. तहसीलदार बॉसवाडा	प्रार्थी
2. श्री रामकृष्ण भावसार	अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक :– 20.07.2021

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार, बांसवाड़ा द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेंस का प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया कि जमाबन्दी संवत् 2029–31 तहसील बांसवाड़ा के राजस्व ग्राम गणपतपुरा पटवार मण्डल कुपडा के खसरा संख्या 242/136 रकबा 0.12 विघा किस्म नाला श्री जुगतराम पिता तोलाराम निवासी कुपडा के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 207[illegible] गणपतपुरा पटवार मण्डल कुपडा तहसील बॉसवाडा श्री प्रकाश, प्रमोद, जितेन्द्र पिता सुखराम, शान्तिदेवी बेवा सुखराम, श्री मणिलाल, रेवाशंकर, कान्तिलाल, अशोक कुमार पिता जुगतराम, [illegible] बेवा जुगतराम निवासी कुपडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.07.30 11:16:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी की भूमि मुताबिक सेटलमेंट गैर मुमकीन नाला श्रीसरकार दर्ज थी। जो राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज नदी/नाला/झील/तलाब/नाली/तलाई/जलाशयो की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उद्भूत नही होते है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय में आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त आराजी नंबर के खातेदारी अधिकार व उक्त भूमि से उद्भूत समस्त अधिकार काबिल निरस्ती योग्य है।

जमाबन्दी संवत् 2029–31 तहसील बांसवाड़ा के राजस्व ग्राम गणपतपुरा पटवार मण्डल कुपडा के खसरा संख्या 242/136 रकबा 0.12 बिघा किस्म नाला श्री जुगतराम पिता तोलाराम निवासी कुपडा के नाम दर्ज रेकार्ड है। नामान्तरकरण सं. 186 दिनांक 25.04.1994 से जुगतराम के फोत होने से विरासत में उनके वारीसान के नाम दर्ज हुए तथा नामान्तरकरण सं. 366 दिनांक 20.02.2013 से सुखराम पिता जुगतराम के फोत होने से जुगतराम के शेष वारीसान तथा सुखराम के वारीसान के नाम उक्त आराजी दर्ज रेकार्ड हुई जो वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2070–73 लगातार खातेदारी दर्ज है।

इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से बाधित भूमि जो आरम्भ से ही शून्य है तथा भूमि में किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी सिविल जनहित याचिका संख्या 1530/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी यही व्यवस्था दी है कि राजस्व रेकार्ड में दिनांक 15.08.1947 में दर्ज गैर मुमकिन नाला/नाली/नदी है। जो कि आवंटन/नियमन से बाधित भूमि है। अतः वर्जित किस्म की भूमि होने के कारण रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर उक्त ग्राम गणपतपुरा पटवार कुपडा तहसील व जिला बॉसवाडा आराजी नं 242/136 रकबा 0.12 बिघा किस्म भूमि नाला/नाली से अप्रार्थीगणो श्री प्रकाश, प्रमोद, जितेन्द्र पिता सुखराम, शान्तिदेवी बेवा सुखराम, श्री मणिलाल, [illegible] कान्तिलाल, अशोक कुमार पिता जुगतराम, जमनाबाई बेवा जुगतराम निवासीयान् कुपडा के [illegible]दारी अधिकार निरस्त करने एवं वापस गैर मुमकीन नाला/नाली राजकीय सिवायचक दर्ज किए जाने निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.07.30 11:16:31 IST
Reason: SelfAttested

Alok

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगणो की ओर से अधिवक्ता श्री उमेश दोसी एवं श्री रामकृष्ण भावसार का अभिभाषक पत्र प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगणो के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 19.10.2020 को अवगत कराया कि अप्रार्थी श्रीमती जमना की पूर्व मे मृत्यु हो चुकी है जिस पर तहसीलदार बॉसवाडा से कायम वारीस मुकाम का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। मृतक जमना के शेष वारिसान को नोटिस जारी किये गये जिसके उपरांत वारिसान श्रीमती सीता, श्रीमती आशा, श्रीमती उषा की ओर से अधिवक्ता श्री उमेश दोसी एवं श्री रामकृष्ण भावसार का अभिभाषक पत्र प्राप्त हुआ। अप्रार्थीगण प्रकाश, प्रमोद, जितेन्द्र, श्रीमती शान्तिदेवी, मणीलाल, रेवाशंकर, कान्तिलाल, अशोक कुमार की ओर से दिनांक 11.01.2021 को श्रीमती सीता, श्रीमती आशा, श्रीमती उषा की ओर से दिनांक 09.04.21 को जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी सं. 1 से 8 की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम गणपतपुरा पटवार मण्डल कुपडा के आराजी नंबर 242/136 कुल रकबा 0.12 बिघा पर कृषि कार्य कर रहे है उक्त खसरा नंबर पर न तो पूर्व में न ही वर्तमान मे मौके पर कोई नाला है। अतः किस्म नाला रेकार्ड से हटाकर सिजनी किस्म मे परिवर्तन करने निवेदन किया।

दिनांक 14.07.2021 को उभय पक्षीय बहस सुनी गई।

तहसीलदार बॉसवाडा की ओर से कथन किया गया कि जमाबन्दी संवत् 2029–31 तहसील बांसवाडा के राजस्व ग्राम गणपतपुरा पटवार मण्डल कुपडा के खसरा संख्या 242/136 रकबा 0.12 बिघा किस्म नाला श्री जुगतराम पिता तोलाराम निवासी बॉसवाडा के नाम दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2070–73 के खसरा नं. 242/136 रकबा 0.12 बिघा भूमि किस्म नाला/नाली अप्रार्थीगणो के नाम दर्ज किया रेकार्ड है। जो राजस्थान भूराजस्व अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा के अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में दर्ज नदी/नाला/झील/तलाब/नाली/ तलाई/जलाशयो की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार उदभूत नही होते है। डी.बी. सिविल जनहित याचिका सख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय में आदेश दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त आराजी नंबर के खातेदारी अ[illegible] समस्त अधिकार काबिल निरस्ती योग्य है। अतः प्रकरण माननीय[illegible]

अप्रार्थीगण के अधिवक[illegible] हुए कथन किया कि ग्राम गणपतपुरा पटवार मण्डल कुपडा के आराजी नंबर 242/136 कुल रकबा 0.12 बिघा पर कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.07.30 11:16:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

कार्य कर रहे है उक्त खसरा नंबर पर न तो पूर्व में न ही वर्तमान मे मौके पर कोई नाला है। अतः किस्म नाला रेकार्ड से हटाकर सिजनी किस्म में परिवर्तन किया जावे।

आदेश

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया एवं उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। ग्राम गणपतपुरा पटवार मण्डल कुपडा तहसील व जिला बॉसवाडा जमाबन्दी संवत् 2029–31 तहसील बांसवाड़ा के राजस्व ग्राम गणपतपुरा पटवार मण्डल कुपडा के खसरा संख्या 242/136 रकबा 0.12 बिघा किस्म नाला श्री जुगतराम पिता तोलाराम निवासी बॉसवाडा के नाम दर्ज रेकार्ड है। नामान्तरकरण सं. 186 दिनांक 25.04.1994 से जुगतराम के फोत होने से विरासत में उनके वारीसान के नाम दर्ज हुए तथा नामान्तरकरण सं. 366 दिनांक 20.02.2013 से सुखराम पिता जुगतराम के फोत होने से जुगतराम के शेष वारीसान तथा सुखराम के वारीसान के नाम उक्त आराजी दर्ज रेकार्ड हुई जो वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2070–73 लगातार अप्रार्थीगण श्री प्रकाश, प्रमोद, जितेन्द्र पिता सुखराम, शान्तिदेवी बेवा सुखराम, श्री मणिलाल, रेवाशंकर, कान्तिलाल, अशोक कुमार पिता जुगतराम, जमनाबाई बेवा जुगतराम निवासीयान् कुपडा के नाम खातेदारी दर्ज है। तहसीलदार बॉसवाडा की ओर से प्रस्तुत सेटलमेंट खातौनी संवत् 1996–97 का भी अवलोकन किया जिसमें मुल खसरा नं. 136 किस्म नाला दर्ज है। इस प्रकार मूल किस्म आरम्भ से ही किस्म नाला है, जो कि आवंटन/नियमन से बाधित भूमि है। जिस कारण ग्राम गणपतपुरा पटवार मण्डल कुपडा तहसील व जिला बॉसवाडा आराजी नंबर 242/136 रकबा 0.12 बिघा किस्म नाला/नाली अप्रार्थीगणो के निजी खातेदारी अधिकार को वापस गैर मुमकिन नाला दर्ज किया जाना न्याय संगत है।

अतः रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण सुनवाई हेतु राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जाता है। अप्रार्थीगणो को इस आशय के साथ सम्मन जारी किया जावे कि इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहते हो तो स्वयं/अधिवक्ता के जरिये दिनांक 20.09.2021 को अपना प्रत्युत्तर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2021 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.07.30 11:16:31 IST
Reason: SelfAttested

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा

जिला कलक्टर बांसवाड़ा (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner